

अन्तिम डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मुकेश वारैठ, आर.ए.एस.

जसवीर कौर आदि वनाम राजस्थान सरकार
दावा 53,88 आर.टी.ए मुकदमा नं0 96/2017

निर्णय दिनांक :- 07/11/2017


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री वाई. एस. सैनी, रामदास सोलंकी एवं प्रतिवादी पैरोकार राज पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 19 एच के खाता संख्या 48 के मु0 न0 50 की कुल 2.997 है0 नहरी रकवा मे से वादी संख्या 2 राजवीर कौर पुत्री जसवीर कौर जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम 0.746 है0 रकवा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे तथा इसी चक के खाता संख्या 49 के मु0 न0 51, 53 की कुल 12.585 है0 नहरी रकवा मे से वादी संख्या 2 राजवीर कौर पुत्री जसवीर कौर जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम 0.190 है0 रकवा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे।

रहन फक होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में कोई राजस्व हानि होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेंगे।

आज दिनांक. 07/11/2017 को यह पर्चा डिग्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	0	--
योग	04	00	योग	04	00


गण

है।

मुहर

क्रमांक :- राजस्व/17/821

प्रतिलिपि : तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक :- 07/11/2017

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर